



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: [it.mppcb@rediffmail.com](mailto:it.mppcb@rediffmail.com)

कमांक

सा0प्र0/आवास आवंटन/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

## -:: कार्यालय आदेश ::-

कार्यालय आदेश कमांक 2212 दिनांक 25/08/2015 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदनों पर आवास आवंटन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियोंको उनके सामने दर्शाए गए आवास निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है :-

कं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	आवंटित आवास
1	श्री पवन सिंह उइके, नि0श्रे0लि0	बी0एम0 173, नेहरू नगर, भोपाल
2	श्री सौरभ तिवारी, उ0श्रे0लि0	एमआईजी 76/4बी, साकेत नगर, भोपाल
3	श्री भोलाराज पाण्डे, भृत्य	एच-6, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल
4	श्री बलराम, वाहन चालक	जूनियर एचआईजी 36/4ए, साकेत नगर, भोपाल
5	श्री दिनेश पसाद सेन, नि0श्रे0लि0	जूनियर एचआईजी 32/4ए, साकेत नगर, भोपाल
6	श्री भागवत सिंह, प्रयो0 सहायक	जूनियर एचआईजी 30/4ए, साकेत नगर, भोपाल
7	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, दफ्तरी	जूनियर एचआईजी 28/4ए, साकेत नगर, भोपाल

## शर्तें :-

1. पात्र अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन होने कि स्थिति में ये आवंटन निरस्त किया जावेगा।
2. बरसात के माह को छोड़कर पात्र अधिकारी/कर्मचारी को आवास आवंटन होने के पश्चात् दो माह की समयावधि में मकान रिक्त करना होगा।
3. आवंटित आवास गृह को उनके बोर्ड के सेवा में रहते हुये भोपाल में पदस्थ रहने की अवधि के लिये रहेगा। इसके बाद उन्हें भवन का अधिपत्य अच्छी हालत में बोर्ड को वापिस करना होगा।
4. उनके वेतन से आवास गृह का किराया शासकीय नियमों के अनुरूप प्रत्येक माह के वेतन से काट जावेगा।
5. पानी तथा बिजली के बिलों का भुगतान आपको स्वयं करना होगा।
6. भविष्य में आपका स्वयं का आवास भोपाल में होने की दशा में स्वयं का आवास अधिपत्य लेने के दिनांक से एक माह के अंदर बोर्ड के आवास को रिक्त करना होगा।
7. आवंटित आवासीय भवन का अधिपत्य आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर ग्रहण करना होगा, अन्यथा आवंटित भवन का आवंटन स्वयं निरस्त हो जावेगा।



# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेय कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: [it.mppcb@rediffmail.com](mailto:it.mppcb@rediffmail.com)

8. आवास रिक्त करने से पूर्व/विद्युत देयक का भुगतान कर, अंतिम देयक रिक्त करने की सूचना के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. आवास का अधिपत्य लेने पर आपके द्वारा आवास में बिजली मीटर लगाया जाना होगा।

( ए०ए० मिश्रा )

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 16-12-15

पृ०क० 332/सा०प्र०/आवास आवंटन/प्रनिबो/2015  
प्रतिलिपि :-

1. वित्त अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रभारी आई.टी. शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. सर्व संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. व्यक्तिगत नस्ती ।

( ए०ए० मिश्रा )

सदस्य सचिव

म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल